

Form No. III

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, तिजारा


फर्द अहकाम

(नियम 26)


बेअन्तसिंह बनाम लालसिंह व अन्य

<p>तारीख हुकम</p>	<p>हुकम का कार्यवाही मय इनीशियल्य जज वाद पत्र - 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वाद संख्या 148/वर्ष 2022</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए</p>
-----------------------	--	---

3.2022 आज यह पत्रावली पेश हुई। वादी मय अधिवक्ता उपस्थित है को सुना गया। प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वकील वादीगण वास्ते तलबी प्रतिवादीगण के रजिस्टर्ड ए0डी0 के नोटिस तलवाने पेश करें। पत्रावली 02-05-2022 को पेश हो।


 उपखण्ड अधिकारी
 तिजारा (अलवर)

17/5/22 पत्रावली आज वादी के प्राथमिक पत्र पर तलब होकर पेश हुई। वादी मय अधिवक्ता उपस्थित होकर पेश किया गया। वादी ने जारी अधिवक्ता प्राथमिक पत्र प्रस्तुत करके वाद को विद्वे करने का विवेक किया। पत्रावली का अवलोकन किया। वादी की वाद-यानवादी अधिवक्ता द्वारा की गई वादी का वाद वादी के प्राथमिक पत्र पर खारिज किया जाता है। पत्रावली के सलसुमार होकर वाद तकनीक खारिज दफ्तर हो।


 Uday
 17.5.22